



सूचना
का
अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/1464 दिनांक:- 14-10-2020

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित)
राजस्थान।

विषय:-स्प्रेडशीट "RTI Information" भरने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के आदेश क्रमांक 811-825 दिनांक 9-7-2020 के द्वारा आपको अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान, जयपुर के पत्र दिनांक 19-8-2019 की अनुपालना उक्त पत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित प्रपत्र-A व प्रपत्र-B दोनों प्रारूप की सूचना तत्काल तैयार कर इस विभाग की jdadm.n.cce@gmail.com पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिनमें से कुछ राजकीय महाविद्यालयों की सूचना अपेक्षित है, लेकिन जिन राजकीय महाविद्यालयों से सूचना प्राप्त हुई है, वह अधूरी होने के कारण आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त सूचना आपके महाविद्यालय की gmail ID में Spreadsheet में "RTI Information" दिनांक 17-10-2020 तक भरवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को भिजवाई जा सके।

भवदीय,



(डा. के.एल. सिराधना) 14.10.2020

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-1/1464-1466 दिनांक:- 14-10-2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र दिनांक 27-8-2020, 4-9-2020 एवं 8-10-2020 के संदर्भ में।
2. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।


(डा. के.एल. सिराधना) 14.10.2020

SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।